

कार्यालय अधिष्ठाता
बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय
शहडोल (म.प्र.)

कार्यालय दूरभाष नं. :- 07652-243000
फैक्स नं. :- 07652-243222

ई-मेल :- deanshahdol@gmail.com
वेबसाइट :- www.gmcshahdol.org

कमांक/1425/स्था./राज./एम.सी./2025

शहडोल, दिनांक 08/02/2025

विज्ञापित सूचना

अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप कमांक/90/एफ 2-42/2007/1/55 (पार्ट) भोपाल, दिनांक 12.01.2024 के द्वारा सीनियर एवं जूनियर रेसीडेंट की जारी की गई चयन पद्धति के आधार पर बिरसा मुण्डा, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल के विभिन्न विभागों में सीनियर/जूनियर रेसीडेंट के रिक्त पदों की पूर्ति वॉक इन इन्टरव्यू के माध्यम से सीमित पदावधि (Tenure) के लिए किये जाने हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है :-

आवेदन पत्र - दिनांक 12.03.2025 सायं 05:00 बजे तक
दस्तावेजों का परीक्षण :- दिनांक 13.03.2025 सुबह 10:00 बजे से
साक्षात्कार - दिनांक 13.03.2025 सुबह 11:30 बजे से

सीनियर रेसीडेंट

(मासिक स्टायपेंड रु. 88,210/- प्रतिमाह)

| कमांक | विभाग का नाम | विज्ञापित पदों की संख्या | UR | ST | SC | OBC | EWS |
|-------|------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 1 | जनरल मेडिसिन | 03 | 01 | 01 | - | 01 | - |
| 2 | शिशु रोग | 02 | - | 01 | - | 01 | - |
| 3 | इरमेटोलॉजी | 01 | 01 | - | - | - | - |
| 4 | अस्थि रोग | 02 | 01 | - | - | 01 | - |
| 5 | जनरल सर्जरी | 03 | 02 | - | - | 01 | - |
| 6 | स्त्री एवं प्रसूति रोग | 06 | 03 | 01 | 01 | 01 | - |
| 7 | निश्चेतना | 04 | 02 | 01 | - | 01 | - |
| 8 | रेडियोडायग्नोसिस | 02 | 01 | - | - | 01 | - |
| | योग | 23 | 11 | 04 | 01 | 07 | - |

जूनियर रेसीडेंट :-

(मासिक स्टायपेंड रु. 61,515/- प्रतिमाह)

| कमांक | विभाग का नाम | विज्ञापित पदों की संख्या | UR | ST | SC | OBC | EWS |
|-------|------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 1 | जनरल मेडिसिन | 02 | - | 01 | - | 01 | - |
| 2 | शिशु रोग | 04 | 02 | 01 | - | 01 | - |
| 3 | जनरल सर्जरी | 04 | 01 | 01 | 01 | 01 | - |
| 4 | स्त्री एवं प्रसूति रोग | 03 | 02 | - | - | 01 | - |
| 5 | निश्चेतना | 02 | 02 | - | - | - | - |
| | योग | 15 | 07 | 03 | 01 | 04 | - |

नोट :-

1. पदों एवं विषयों की संख्या अधिक/कम की जा सकती है, जिसकी जानकारी समय-समय पर चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल की वेबसाइट www.gmeshahdol.org पर प्रकाशित की जायेगी।

आवेदन पत्र जमा करने की प्रक्रिया :- आवेदन पत्र दिनांक- 12.03.2025, दिन - बुधवार, सायं 05:00 बजे तक कार्यालय अधिष्ठाता, बिरसा मुण्डा, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल में जमा होंगे। आवेदन पत्र डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में जमा किये जा सकते हैं। किसी भी स्थिति में निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा एवं किसी भी अवस्था में आवेदन शुल्क वापस नहीं किया जावेगा।

आवेदन शुल्क :- अनारक्षित संवर्ग के अभ्यर्थियों को अपने आवेदन के साथ राशि रु. 700/- (सात सौ रुपये) एवं आरक्षित संवर्ग के अभ्यर्थियों को राशि रु. 500/- (पांच सौ रुपये) का डिमांड ड्राफ्ट "NEW GOVT- MEDICAL COLLEGE SHAHDOL AUTONOMOUS SOCIETY" खाता क्रमांक - 3687727001 IFSC Code :- CBIN0280787 बैंक - सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, मेन ब्रांच शहडोल (म. प्र.) के नाम देय हो प्रस्तुत करना होगा। बैंक ड्राफ्ट के पीछे अभ्यर्थी को अपना पूरा नाम, पता व विषय तथा फोन नम्बर लिखना आवश्यक होगा। किसी भी अवस्था में राशि वापस नहीं की जावेगी।

साक्षात्कार दिनांक 13.03.2025, दिन-गुरुवार को दोपहर 11:30 बजे से कार्यालय अधिष्ठाता, बिरसा मुण्डा, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल के सभागर कक्ष में निर्धारित रहेगा। अवकाश की स्थिति में साक्षात्कार की सूचना पृथक से महाविद्यालय की अधिकृत वेबसाइट एवं नोटिस बोर्ड के माध्यम से जारी की जावेगी।

1/- जूनियर रेसीडेंट :-

पात्रता :-

जूनियर रेसीडेंट के पद हेतु आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के पूर्व एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम उत्तीर्ण कर इंटरनशिप पूर्ण करने वाले चिकित्सक पात्र होंगे।

अपात्रता:-

- i. एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम की अध्ययनरत अवधि में अधिष्ठाता/ प्राचार्य, चिकित्सा/दन्त चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन कर चिकित्सकीय कार्य न किया जाना अथवा महाविद्यालय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहना।
- ii. विधि द्वारा स्थापित नियमों के विरुद्ध किसी अवधि के लिए चिकित्सकीय कार्य से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहना।
- iii. पाठ्यक्रम अवधि में छात्र/छात्रा के विरुद्ध अपराधिक प्रकरण संस्थित होना।
- iv. पाठ्यक्रम अवधि में पदीय कर्तव्यों में लापरवाही, अशिष्टता, अशोभनीय व्यवहार अथवा अनुशाहीनता पाये जाने पर।
- v. बिन्दु (I) से (IV) में दर्शित कारणों से चिकित्सकीय कार्य से अनुपस्थित रहने की स्थिति में, ऐसे छात्र/छात्राएँ चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन संचालित किसी संस्था में सेवा के लिए पात्र नहीं माने जायेंगे।
- vi. उपरोक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में छात्र/छात्राओं द्वारा इन्टरनशिप पूर्ण करने संबंधित महाविद्यालय के अधिष्ठाता द्वारा जारी किये गये जाने वाले Internship Completion Certificate में इस आशय की स्पष्ट टीप दिया जाना आवश्यक होगा।

चयन विधि :-

- i- अधिष्ठाता की अध्यक्षता में चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से चिकित्सकों का चयन किया जावेगा।
- ii- योग्य अभ्यर्थियों का चयन उनके द्वारा एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने में लगे Attempts सभी प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी परीक्षाओं के सकल प्रतिशत एवं साक्षात्कार के आधार पर नियत होगा।
- iii- चयन हेतु प्रथमतः प्राथमिकता विज्ञापन जारी करने वाले स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय से उत्तीर्ण चिकित्सकों को दी जायेगी। तत्पश्चात मध्यप्रदेश के अन्य शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय से उत्तीर्ण चिकित्सकों को प्राथमिकता दी जायेगी। इसके पश्चात शेष रिक्त पदों के लिए प्रदेश के निजी चिकित्सा महाविद्यालय/अन्य प्रदेश के शासकीय/निजी चिकित्सा महाविद्यालयों के उम्मीदवारों पर विचार किया जायेगा।
- iv- चयनित उम्मीदवारों की सूची के साथ प्रतीक्षा सूची भी जारी की जायेगी। चयनित चिकित्सक द्वारा मध्य में सेवायें छोड़ने पर शेष अवधि के लिए प्रतीक्षारत चिकित्सक का चयन किया जायेगा। यह प्रतीक्षा सूची 01 वर्ष तक के लिए वैध होगी।
- v- चयनित जूनियर रेसीडेंट को निजी प्रैक्टिस की पात्रता नहीं होगी।

अवधि (Tenure) :-

- i- टेन्योर की अवधि 03 वर्ष होगी।
- ii- 01 वर्ष की टेन्योर अवधि पूर्ण होने पर विभागाध्यक्ष द्वारा संबंधित का कार्य संतोषप्रद होने संबंधी की गई अनुशंसा के आधार पर आगामी वर्ष के लिए बढ़ाया जायेगा।
- iii- विभागाध्यक्ष द्वारा चिकित्सक का कार्य संतोषजनक रिपोर्ट नहीं देने पर अथवा अनाधिकृत रूप से अवकाश पर रहने पर उसकी सेवायें तत्काल समाप्त करने का अधिकार अधिष्ठाता को होगा।

आरक्षण :-

- i- राज्य शासन द्वारा अद्यतन निर्धारित आरक्षण व्यवस्था लागू होगी।
- ii- आरक्षित वर्ग के रिक्तियों के विरुद्ध चिकित्सक उपलब्ध न होने पर अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य श्रेणी के कम से उपलब्ध चिकित्सकों से भरी जा सकेगी।

अवकाश :-

जूनियर रेसीडेंट को प्रति सप्ताह 01 दिवस अवकाश की पात्रता होगी तथा प्रतिवर्ष 12 दिवस के आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी, सप्ताहिक अवकाश संचित नहीं किया जा सकेगा। अवकाश के समस्त प्रकरणों पर अधिष्ठाता का निर्णय अंतिम होगा।

शिष्यावृत्ति :-

मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित तत्समय प्रचलित जूनियर रेसीडेंट हेतु शिष्यावृत्ति देय होगी।

2/- सीनियर रेसीडेंट :-

पात्रता :-

- i- सीनियर रेसीडेंट के पद हेतु आवेदन जमा करने की तिथि के पांच (05) वर्ष के अंदर एम.डी./एम.एस./डी.एन.बी./डिप्लोमा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने वाले चिकित्सक पात्र होंगे।
- ii- चिकित्सक की उम्र 45 वर्ष से कम होनी चाहिए।
- iii- एन.एम.सी. द्वारा समय-समय पर जारी अर्हतायें स्वतः लागू होंगी।

अपात्रता :-

- i- एम.डी./एम.एस. पाठ्यक्रम की अध्ययन अवधि में अधिष्ठाता/ प्राचार्य, चिकित्सा/दन्त चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन कर चिकित्सकीय कार्य न किया जाना अथवा महाविद्यालय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहना।
- ii- विधि द्वारा स्थापित नियमों के विरुद्ध किसी अवधि के लिए चिकित्सकीय कार्य से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहना।
- iii- पाठ्यक्रम अवधि में छात्र/छात्रा के विरुद्ध अपराधिक प्रकरण संस्थित होना।
- iv- पाठ्यक्रम अवधि में पदीय कर्तव्यों में लापरवाही, अशिष्टता, अशोभनीय व्यवहार अथवा अनुशाहीनता पाये जाने पर।
- v- बिन्दु (I) से (IV) में दर्शित कारणों से चिकित्सकीय कार्य से अनुपस्थित रहने की स्थिति में, ऐसे छात्र/छात्राएँ चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन संचालित किसी संस्था में सेवा के लिए पात्र नहीं माने जाएँगे।
- vi- उपरोक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में छात्र/छात्रा द्वारा पी.जी. पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने पर संबंधित महाविद्यालय के अधिष्ठाता द्वारा जारी किये जाने वाले प्रमाण पत्र में उपरोक्त बिन्दुओं से संबंधित टीप अंकित की जायेगी।

चयन विधि :-

- i- अधिष्ठाता की अध्यक्षता में चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से चिकित्सकों का चयन किया जावेगा।
- ii- चयन हेतु प्रथमतः प्राथमिकता विज्ञापन जारी करने वाले चिकित्सा महाविद्यालय से उत्तीर्ण चिकित्सकों को दी जायेगी। तत्पश्चात् मध्यप्रदेश के अन्य शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय से उत्तीर्ण चिकित्सकों को प्राथमिकता दी जायेगी। इसके पश्चात् शेष रिक्त पदों के लिए प्रदेश के निजी चिकित्सा महाविद्यालय/अन्य प्रदेश के शासकीय/निजी चिकित्सा महाविद्यालयों के उम्मीदवारों पर विचार किया जायेगा।
- iii- चिकित्सक द्वारा जिस विषय में एम.डी./एम.एस./डी.एन.बी./डिप्लोमा किया है। उसी विषय के लिए पात्रता होगी।
- iv- चयन का कम कमशः डिग्रीधारी, डी.एन.बी., डिप्लोमा होगा।
- v- चयनित सीनियर रेसीडेंट को निजी प्रैक्टिस की पात्रता नहीं होगी।

अवधि (Tenure) :-

- i- टेन्योर की अवधि 03 वर्ष होगी।
- ii- 01 वर्ष की टेन्योर अवधि पूर्ण होने पर विभागाध्यक्ष द्वारा संबंधित का कार्य संतोषप्रद होने संबंधी की गई अनुशंसा के आधार पर आगामी वर्ष के लिए बढ़ाया जायेगा।
- iii- विभाग में पदस्थ सीनियर रेसीडेंट के संबंध में संबंधित विभागाध्यक्ष की प्रतिकूल टिप्पणी प्राप्त होने पर अधिष्ठाता को संबंधित विभागाध्यक्ष संबद्ध चिकित्सालय के अधीक्षक तथा 02 वरिष्ठम प्राध्यापक की गठित समिति के परामर्श से ऐसे सीनियर रेसीडेंट की नियुक्ति बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रदत्त होगा। इस प्रकार से पृथक किये गए चिकित्सक को इस पद हेतु पुनः आवेदन करने की पात्रता नहीं होगी।
- iv- विभागाध्यक्ष द्वारा संबंधित चिकित्सक के अनाधिकृत रूप से अवकाश पर रहने अथवा कार्य संतोषप्रद न होने संबंधी प्रतिवेदन प्रस्तुत करने पर उनकी सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त करने के अधिकार अधिष्ठाता को प्रदत्त होंगे।

आरक्षण :-

- i. राज्य शासन द्वारा अद्यतन निर्धारित आरक्षण व्यवस्था लागू होगी।
- ii. निर्धारित आरक्षित/अनारक्षित श्रेणी के रिक्त सीटों के विरुद्ध प्रथमतः संबंधित श्रेणी के प्रदर्शकों/ट्यूटर्स/चिकित्सा अधिकारी का चयन किया जावेगा। तदोपरांत सीनियर रेसीडेंसी हेतु अन्य चिकित्सकों का चयन होगा।
- iii. आरक्षित वर्ग के रिक्तियों के विरुद्ध चिकित्सक उपलब्ध न होने पर अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य श्रेणी के कम से उपलब्ध चिकित्सकों से भरी जा सकेगी।

अवकाश :-

सीनियर रेसीडेंट को प्रति सप्ताह 01 दिवस अवकाश की पात्रता होगी तथा प्रतिवर्ष 12 दिवस के आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी, सप्ताहिक अवकाश संचित नहीं किया जा सकेगा। अवकाश के समस्त प्रकरणों पर अधिष्ठाता का निर्णय अंतिम होगा।

शिष्यावृत्ति :-

मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित तत्समय प्रचलित सीनियर रेसीडेंट हेतु शिष्यावृत्ति देय होगी।

3/- प्रदर्शकों/ट्यूटर्स/चिकित्सा अधिकारियों का सीनियर रेसीडेंट में चयन :-

पात्रता :-

- i- सीनियर रेसीडेंट के पद हेतु आवेदन जमा करने की तिथि के पांच (05) वर्ष के अंदर एम.डी./एम.एस./डी.एन.बी./डिप्लोमा/पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने वाले चिकित्सक पात्र होंगे।
- ii- एन.एम.सी. द्वारा समय-समय पर जारी अर्हतायें स्वतः लागू होंगी।
- iii- जिस प्रदर्शक/ट्यूटर्स/चिकित्सा अधिकारी ने जिस विषय में एम.डी./एम.एस. किया है उसकी सिर्फ उसी विषय के लिए सीनियर रेसीडेंसी की पात्रता रहेगी।

चयन विधि :-

- i- ऐसे प्रदर्शकों/ट्यूटर्स/चिकित्सा अधिकारियों ने एम.डी./एम.एस. पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया है उन्हें सीनियर रेसीडेंट के पद के लिए सर्वप्रथम प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।
- ii- साक्षात्कार के समय जिन प्रदर्शकों/ट्यूटर्स/चिकित्सा अधिकारियों ने उसी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय से एम.डी./एम.एस. किया है उन्हें प्राथमिकता दी जायेगी, उसके बाद मध्यप्रदेश के किसी भी अन्य शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय से उत्तीर्ण चिकित्सकों को प्राथमिकता दी जायेगी। तदोपरांत रिक्तियां रहने पर निजी चिकित्सा महाविद्यालयों के उम्मीदवारों पर विचार किया जायेगा।

शीट का आरक्षण :-

- i. राज्य शासन द्वारा अद्यतन निर्धारित आरक्षण व्यवस्था लागू होगी।
- ii. निर्धारित आरक्षित/अनारक्षित श्रेणी के रिक्त सीटों के विरुद्ध प्रथमतः संबंधित श्रेणी के प्रदर्शकों/ट्यूटर्स/चिकित्सा अधिकारियों का चयन किया जायेगा।

वेतन भत्ते :-

- i- प्रदर्शकों/ट्यूटर्स/चिकित्सा अधिकारियों के अपने पद के संबंधित वेतन भत्तों की पात्रता होगी।

अवकाश :-

- i- इनको सीनियर रेसीडेंट के पद पर रहते हुए 12 दिवस के आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी तथा सप्ताह में 01 दिवस के अवकाश की पात्रता होगी। सीनियर रेसीडेंट के पद पर रहते हुए मूल पद से जुड़े किसी अन्य प्रकार के अवकाश की पात्रता नहीं होगी।

टीप :-

- i- जिन प्रदर्शकों/ट्यूटर्स/चिकित्सा अधिकारियों को सीनियर रेसीडेंट के पद पर पदस्थ किया गया है। ऐसे प्रदर्शक/ट्यूटर/चिकित्सा अधिकारी का अपने मूल पद के विरुद्ध धारणाधिकार स्थापित रहेगा, जिस कारण चिकित्सा महाविद्यालय उक्त पद के विरुद्ध किसी अन्य चिकित्सक को नियुक्त नहीं करेगा।

महत्वपूर्ण टीप :-

1. यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे अपने आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हतायें और शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तें पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरें।
2. चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जायेगी।
3. आवेदक के विरुद्ध पुलिस प्रकरण अथवा किसी भी प्रकार की जांच न हो जिसके कारण आवेदक की नियुक्ति प्रभावित होती हो। इस आशय से संबंधित घोषणा-पत्र जो की आवेदन के प्रारूप में दिया गया है। यह शर्त भी उसमें समाहित रहेगी।
4. चयन प्रक्रिया/प्रकाशित विज्ञप्ति में यदि कोई त्रुटि या लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो सक्षम प्राधिकारी को सुधारने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।


स्थापना प्रभारी (राज.)

बिरसा मुण्डा शास.चिकि.महा.

शहडोल (म.प्र.)

पृ. क्रमांक /...../स्था./राज./एम.सी./2025

प्रतिलिपि :- की ओर सूचनार्थ।

1. संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग सतपुड़ा भवन भोपाल एवं अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति, बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल (म.प्र.)।
2. संस्था की वेबसाइट/सूचना पटल।


स्थापना प्रभारी (राज.)

बिरसा मुण्डा शास.चिकि.महा.

शहडोल (म.प्र.)


अधिष्ठाता

बिरसा मुण्डा, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय

शहडोल (म.प्र.)

शहडोल, दिनांक.08/03/2025


अधिष्ठाता

बिरसा मुण्डा, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय

शहडोल (म.प्र.)